		हुक्म की तारीख व जारी हुए
5/10/23	पत्रावली पेश हुई वकील प्रार्थीगण हाजिर। तहसीलदार डोलमाझाड की रिपोर्ट पत्र में पढ़ी। श्री मिसल रही आवेदक 136 LR Act पर बहस सुनी गई। सुनी गई बहस व रिकार्ड प्रावधानों पर मनन किया गया। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज व तकसीम की रिपोर्ट व सरपंच ग्राम पंचायत चोलासरी का प्रमाण पत्र का अवलोकन किया गया जिससे स्पष्ट है कि राजस्व रिकार्ड के सबूत से झगड़े वाले का गारादा राम के स्थान पर हुक्माराम दर्ज हो गया। अतः प्रार्थीगण का आवेदक 136 LR Act तकसीम डोलमाझाड व सरपंच ग्राम पंचायत चोलासरी के अनुशंसा के आधार पर स्वीकार किया जाता है आदेश पृथक से देकर कमा श्री मिसल को तहसीलदार डोलमाझाड को तहसीलदारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर अभिलेख से बाहर होकर दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ